

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या: 118  
उत्तर देने की तारीख: 11.02.2019

केपिटेशन शुल्क

\*118. श्री लक्ष्मी नारायण यादव:  
श्रीमती रमा देवी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में केपिटेशन शुल्क पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद उसे अभी भी वसूला जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता चले ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई और इसके क्या परिणाम रहे; और
- (घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर  
मानव संसाधन विकास मंत्री  
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*

केपिटेशन शुल्क के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण यादव और श्रीमती रमा देवी द्वारा दिनांक 11.02.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं. 118 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): सरकार को अभी भी वसूल किए जा रहे केपिटेशन शुल्क का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*

